न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 41/2021 (2021/105)

प्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत सेखाला जरिये सरपंच श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी अनोपसिंह, जाति राजपूत, निवासी सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
2. भंवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सेखाल, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. बागसिंह पुत्र सुजानसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोगादेव गढ़, ग्राम सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर (राज0)।
2. तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 11 मिसल संख्या 11 दिनांक 30.01.1982 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोंलकी (प्रार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा (अप्रार्थी संख्या 01)।
3. अप्रार्थी संख्या 02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश दिनांक :–14.10.2022

प्रार्थीगण द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पट्टा विलेख संख्या 11 मिसल संख्या 11 दिनांक 30.01.1982 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया के विरुद्ध पेश की गई है, निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपत सिंह जोधा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत होने पर उभयपक्षकारान की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि प्रार्थी ग्राम सेखाला का मूल निवासी है। प्रार्थी के नाम से ग्राम सेखाला के खसरा नं0 436/1 गैर मुमकीन आबादी खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त आबादी भूमि पर प्रार्थी द्वारा भूमिहीन गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत पट्टे जारी करने की योजना बनाई और आवेदन मांगे गए। उसी समय प्रार्थी को गांव वालों से पता चला कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल की मांग की जिस पर ग्राम विकास अधिकारी ने दिनांक 23.11.2021 को बतलाया कि आप द्वारा वर्ष 1981–1982 में जारी पट्टों व इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां चाही गई है। ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा वर्ष 1981–82 में जारी पट्टों से संबंधित किसी प्रकार का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा किसी प्रकार का कोई पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या 01 को जारी नहीं किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने आगे बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके मौके पर भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ होते हुए भी व्यवसायिक उपयोग के लिए दुकानों का निर्माण कर रहा है तथा उक्त पट्टे को देखने मात्र से ही पता चलता है कि पट्टे पर ग्राम सेवक व सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 01 को निर्माण कार्य करने से रोकने बाबत् ग्राम पंचायत के द्वारा जरिये नोटिस सूचना दी जा चुकी है तथा मौके पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, ग्राम सेवक एवं सरपंच द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 बागसिंह द्वारा फर्जी पट्टे की आड़ में 10–12 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रमाणित होता है कि वास्तविकता में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी ही नहीं किया गया इसलिए तथाकथित पट्टा संख्या 11 कानूनन शुरू से ही शून्य व अवैध है। अगर पट्टा सही होता तो उसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में अवश्य उपलब्ध होता। प्रार्थी की पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर शुरू से ही शून्य व अवैध पट्टे को निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निरन्तर आगे बतलाया कि अगर वास्तव में पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया होता तो बागसिंह उक्त भूखण्ड पर काबिज होते। प्रार्थी का निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा बदस्तूर आज भी काबिज है। जिसके आधार पर प्रार्थी का उक्त भूमि पर मालिकाना हक परिपक्व हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी जाती है जो इस मामले में नहीं मंगवाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार की कोई मिसल कायम नहीं की गई और न ही आपत्तियां जारी की गई। अगर ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवायी जाती है तो अवश्य ही प्रार्थी के कब्जे की रिपोर्ट आयेगी। इससे स्पष्ट है कि पट्टा जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी का लिखित जवाब पेश कर बतलाया कि खसरा संख्या 436/1 वाली भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि न होकर आबादी भूमि है। जिस पर पट्टा विलेख जारी करने का अधिकारी ग्राम पंचायत को है। खसरा संख्या 436/1 में ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा मिसल संख्या 11 कायम कर पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.01.1982 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में विधिवत् जारी किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 बतौर मालिक काबिज है। प्रकरण में पत्रावली संधारित की गयी तथा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी किया गया। पंचायत के मूल अभिलेख की जिम्मेदारी पक्षकारों की कभी नहीं होती है। पंचायत का रिकॉर्ड कहां व किसके पास है वो ग्राम पंचायत ही बता सकती है। पिछले 40 वर्षों के दौरान किसी भी सरपंच द्वारा उक्त पट्टा विलेख व कब्जे बाबत् कोई उजर एतराज नहीं किया गया। इस बिनाय पर यह निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने कब्जा बाबत् फोटोग्राफ्स पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने आगे बतलाया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा है तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस दिया गया वह गलत आधारों पर आधारित होने से काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 01 ने उस नोटिस का जवाब, निर्माण कार्य की अनुमति एवं पट्टा ग्राम पंचायत में पेश कर दिया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त योग्य होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने निरन्तर जवाब में बतलाया कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड यदि नहीं मिलता है तो इस संदर्भ में माननीय राजस्थान सरकार ने दिनांक 26.11.2021 को एक पत्र जारी किया जिसमें बतलाया गया है कि :-

ग्राम पंचायत के स्वयं के रिकॉर्ड में कार्यालय प्रति उपलब्ध नहीं होने की दशा में पट्टा चोरी होने की स्थिति में एफआईआर की प्रति मय शपथ-पत्र के एवं यदि पट्टा नष्ट/गुम हो गया हो तो इस आशय का आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त किया जाकर, उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए आम जन से आपत्ति आमंत्रित किये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:14 IST
Reason: SelfAttested

नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर, प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात् राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार नया पट्टा जारी करने की विहीत प्रक्रिया अपनाई जाकर उसे नया पट्टा जारी कर सकती है। हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नहीं अपनायी गई। प्रकरण में प्रार्थी संख्या 02 का हित क्या है उसका इस निगरानी में कही उल्लेख नहीं किया गया है। इस आधार पर पंचायत निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब के मजीद उजरात में बतलाया कि हस्तगत प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा जो पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया। उसी को निरस्त करने हेतु सरपंच द्वारा पंचायत निगरानी प्रस्तुत की गई है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सेखाला ने अपने पत्र क्रमांक 45 दिनांक 17.01.2022 में बतलाया कि न्यायालय में विचाराधीन पंचायत निगरानियां 41 / 2021 व 42 / 2021 से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है व पूर्व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उन्हें उपरोक्त निगरानी से संबंधित कोई रिकॉर्ड चार्ज में हस्तान्तरित नहीं किया गया। प्रस्तुत निगरानी ग्राम पंचायत सेखाला व अन्य व्यक्ति भंवरसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई। निगरानीकर्ता संख्या 02 भंवरसिंह का प्रस्तुत प्रकरण में Locus Standi क्या है, स्पष्ट नहीं किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्यों एवं दस्तावेजों (फोटोप्रतियों) से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 को वर्ष 1982 में ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा पट्टा जारी किया गया, उसके पश्चात् उक्त पट्टासुद भूमि पर निर्माण करने की अनुमति चाही जाने पर ग्राम पंचायत सेखाला द्वारा दिनांक 21.02.2011 को पुनः प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 01 बागसिंह को अधिकृत पक्का निर्माण कार्य करने हेतु सर्वसम्मति से अनुज्ञा जारी की गई जिसका खण्डन प्रार्थीपक्ष द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आलौच्य पट्टा जारी होने की जानकारी ग्राम पंचायत सेखाला को वर्ष 2011 से भलीभांति है। अतः इतने विलम्ब के पश्चात निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा (Condone) करने का प्रार्थना–पत्र में वर्णित जो तथ्य दिये गये वो संतोषप्रद नहीं है। प्रार्थीपक्ष स्वयं ग्राम पंचायत ने वर्ष 1982 का रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः बिना रिकॉर्ड के आलौच्य पट्टा विधिक प्रक्रिया से जारी किया गया या नहीं, पट्टे का वैधानिक परीक्षण नहीं किया जा सकता। हमारे उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत निगरानी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश पत्रावली के सलंग्न हो। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत सेखाला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 14.10.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:14 IST
Reason: SelfAttested